न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 05/2006

प्रार्थी : –

1. श्री प्रफुल त्रिवेदी पुत्र श्री जयनारायणजी त्रिवेदी जाति ब्राह्मण निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री मफतलाल पुत्र श्री लख्मीचंद जैन जाति जैन निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया प्रार्थी।
2. सहायक विकास अधिकारी अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक 31.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/पंसपि/पंचायत/2005–06/ दिनांक 30.12.2005 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी की ओर से सहायक विकास अधिकारी ने उपस्थिति दी गई ।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत विधि विरूद्ध आदेश पारित कर प्रार्थीगण को अतुल्यनीय क्षति पहुंचाई है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम रोहिडा के रामलीला मैदान के पास एक सार्वजनिक धर्मशाला है जिसके पास माताजी का मन्दिर बना हुआ है। उक्त धर्मशाला परिसर के बाहर एक मन्दिर के लिए कमरा बना हुआ है, जो मन्दिर की पूजा सामग्री रखने के काम आता है एवं इस कमरे में जाने हेतु रास्ता धर्मशाला के मुख्य द्वार से है। मन्दिर के कमरे में आवाग[illegible] मन्दिर में पूजा के समय ही होता है, जिसके प्रार्थी संख्या एक अध्यक्ष एवं प्रार्थी संख्या [illegible] है। उक्त सार्वजनिक धर्मशाला को प्रार्थी व आमजन की सहम[illegible] है, जिसमें कुछ वर्षों से विद्यालय संचालित है। दिनांक 26.12.2005 को गांव के [illegible] एक व्यक्ति द्वारा गलत एवं झूठी रिपोर्ट अध्यक्ष, प्रशासन समिति को प्रस्तुत [illegible] कि चार पांच [illegible] से कुछ असामाजिक तत्वों ने अपने धंधे के लिए [illegible] मन्दिर निर्माण करवा [illegible] जिससे विद्यालय में अव्यवस्था हो रही है। उपरोक्त रिपोर्ट पर प्रशासन एवं स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30.12.2005 को हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय के मुख्य दरवाजे की चाबी प्रधानाध्यापक के पास ही रहेगी एवं उनकी आज्ञा से ही मुख्य दरवाजा खुलेगा एवं बन्द होगा। उक्त आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है। इस आदेश से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:15:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मन्दिर के कमरे में पुजारी की आवाजाही बन्द हो जाएगी, जिससे कमरे का उपयोग एवं उपभोग नहीं हो पाएगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मन्दिर की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी की ओर से सहायक विकास अधिकारी द्वारा मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी ने उक्त आदेश को पारित करने में कोई भूल नहीं की है। प्रशासन एवं स्थाई समिति के निर्णय के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि संगत है। धर्मशाला के मुख्य दरवाजे को आम लोगों को खोलने से विद्यालय की सुरक्षा को क्षति पहुंचती है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी की ओर से किए गए निवेदन एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

ग्राम रोहिडा के रामलीला मैदान के पास एक सार्वजनिक धर्मशाला है जिसके पास माताजी का मन्दिर बना हुआ है। उक्त धर्मशाला परिसर के बाहर एक मन्दिर के लिए कमरा बना हुआ है, जो मन्दिर की पूजा सामग्री रखने के काम आता है एवं इस कमरे में जाने हेतु रास्ता धर्मशाला के मुख्य द्वार से है। मन्दिर के कमरे में आवागमन सुबह शाम मन्दिर में पूजा के समय ही होता है, जिसके प्रार्थी संख्या एक अध्यक्ष एवं प्रार्थी संख्या दो उपाध्यक्ष है। उक्त सार्वजनिक धर्मशाला को प्रार्थी व आमजन की सहमति से विद्यालय हेतु दिया हुआ है, जिसमें कुछ वर्षों से विद्यालय संचालित है। दिनांक 26.12.2005 को गांव के किसी एक व्यक्ति द्वारा गलत एवं झूठी रिपोर्ट अध्यक्ष, प्रशासन समिति को प्रस्तुत की गई कि गत चार पांच माह से कुछ असामाजिक तत्वों ने अपने धंधे के लिए अवैध मन्दिर निर्माण करवा रहे है, जिससे विद्यालय में अव्यवस्था हो रही है। उपरोक्त रिपोर्ट पर प्रशासन एवं स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30.12.2005 को हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय के मुख्य दरवाजे की चाबी प्रधानाध्यापक के पास ही रहेगी एवं उनकी आज्ञा से ही मुख्य दरवाजा खुलेगा एवं बन्द होगा। चूंकि धर्मशाला में संचालित राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय की सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य द्वार की चाबी प्रधानाध्यापक के पास रहना स्वाभाविक है। जहां तक मन्दिर के लिए बने कमरे का सवाल है तो विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मन्दिर जाने का रास्ता अलग होने से स्कूल परिसर में अनावश्यक कार्य से लोगों का प्रवेश नहीं होगा एवं मन्दिर के कमरे के लिए मुख्य द्वार खोला जाता है तो विद्यालय की सुरक्षा को क्षति पहुंचती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा पारित आदेश क्रमांक/पंसपि/पंचायत/2005–06/ दिनांक 30.12.2005 को यथावत कायम रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:15:10 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner